<u>राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर</u>

क्रमांक एफ7(1) सेट/नोटि./2012–13/778-785, दिनांक :– 4-7-14

<u>प्रेस–नोट</u>

राज्य पात्रता परीक्षा के स्पष्ट पात्रता वाले अभ्यर्थी अपने पात्रता प्रमाण पत्र इन्टरनेट से ई–मित्र/सी.ए.सी कियोस्क के माध्यम से डाउनलोड कर सीधे प्राप्त कर सकते हैं। पात्रता प्रमाण पत्र में आयोग स्तर पर किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो लिखित अनुरोध पर त्रुटि सुधार निःशुल्क किया जायेगा। अभ्यर्थी स्तर पर किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो निम्न प्रकार से शुल्क जमा कराकर त्रुटि सुधार किया जा सकता है।

ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 30 दिवस के अन्दर आवेदन पत्र में परिवर्तन/संशोधन शुल्क रूपये **100/–भारतीय पोस्टल आर्डर** संलग्न कर आयोग के Portal पर जाकर संशोधन/परिवर्तन करा सकता है।

प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् एवं परीक्षा तिथि से पूर्व, परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा का विषय परिवर्तन के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संशोधन/परिवर्तन के लिए अभ्यर्थी अपना प्रार्थना पत्र मय आई डी प्रूफ एवं संशोधन शुल्क रूपये 300/– का भारतीय पोस्टल आर्डर के साथ आयोग कार्यालय में प्रस्तुत कर संशोधन एवं परिवर्तन करवा सकता हैं। परीक्षा तिथि के बाद ऑनलाईन आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन प्रार्थना–पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी त्रुटि का समस्त दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

(नरेश कुमार ठकराल)
सचिव
राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर